जाएगा और उसके लिए जरूरत पड़े तो वहां उनके लिए जायदाद भी क्या खरीदी जाएगी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस पर गौर किया है ?

MR. SPEAKER : Now, the whole debate will be concluded by Mr. Kachwai. Mr. Kachwai.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि किसी भी देश का कोई भी आदमी यहां ज़मीन खरीद सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस पर विचार किया है कि पहले वह अपना रजिस्ट्रेशन करवाये और फिर ज़मीन खरीदे ताकि सरकार को इस बात की जानकारी रहे कि फलां-फलां आदमी बाहर का यहां ज़मीन खरीद रहा है ? क्या आपने कोई आदेश निकाले हैं कि बिना रजिस्टर करवाये हुए कोई विदेशी यहां भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकता है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दलाई लामा के जो साथी हैं या जो उनके साथ लोग आए हैं क्या उन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है या फौजी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे वक्त आने पर चीन के खिलाफ ठीक ढंग से संघर्ष कर सकें ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है यह सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है, इसलिए कोई एतराज़ नहीं उठना चाहिये। जहां तक. . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सवाल यह नहीं है। आपने यह कहा है कि कोई भी विदेशी भारत में जायदाद खरीद सकता है। क्या यह खतरनाक बात नहीं है कि कोई भी आए और यहां आ कर जायदाद खरीद ले ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस वक्त यही कानून है कि कोई विदेशी यहां आकर खरीद सकता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इसको ठीक करो।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है। इसके एम्ज़ एंड आबजैक्ट्स सब हमें मालूम हैं। इसलिए कोई एतराज़ की बात नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कोई भी विदेशी यहां ज़मीन खरीद सकता है जो यह कानून है यह गलत कानून है। उसे आप ठीक नहीं कर सकते ? यह बड़ा खतरनाक है कि कोई भी आ कर ले सकता है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कानून गलत है या सही है, हाउस ने बनाया हुआ है और इसको बदलना भी हाउस के हाथ में है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नीति सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर कौन देगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह पालिसी मैटर है। कैबिनेट को इनके बारे में डिसिशन लेना होता है। मिनिस्टर नहीं ले सकता है।

11.45 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDITED ACCOUNTS OF INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : On behalf of Dr. Triguna Sen, I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Audited Accounts of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, for the year 1965-66, under sub-section (4) of section 23 of the Institutes of Technology Act, 1961. [*Placed in Libruary. See No. LT*-2188/67].

(2) A copy of the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Haryana Amendment Ordinance, 1967 (Haryana Ordinance No. 9 of 1967) promulgated by the Governor of Haryana on the 3rd October, 1967, under article 213(2) (a) of the Constitution read

[Shri Bhagwat Jha Azad]

with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 21st November, 1967, issued by the President in relation to the State of Haryana. [*Placed in Library. See* No. LT-2189/67]

ANNUAL REPORT OF NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION OF INDIA

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the National Research Development Corporation of India, New Delhi, for the year 1966-67 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT-2190/67].

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 4931 RE. HINDI TELEPRINTER

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : I beg to lay on the Table a statement correcting the answer given on the 19th December, 1967 to Unstarred Question No. 4931 by Shri Prakash Vir Shastri regarding Hindi teleprinters. [*Placed in Library. See* No. LT-2191/67]

RICE-MILLING INDUSTRY (REGULATION AND LICENSING) AMENDMENT RULES ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Third Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1465 in Gazette of India dated the 30th September, 1967, under sub-section (4) of section 22 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958.

(2) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT-2192/67].

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, when the Minister lays a statement showing reasons for delay in laying the Notification, let him assure the House that this delay will be avoided in future. Otherwise, what is the use of raising this matter, Sir ?

MR. SPEAKER : I agree.

11.46 hrs.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES MINUTES

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर): मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की क्रमश: 20, 21 और 22 सितम्बर, 23 और 24 अक्तूबर, 6 और 7 नवम्बर तथा 19 दिसम्बर, 1967 को हुई पांचवीं से बारहवीं बैठकों तक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

SECRETARY : Sir, I lay on the Table following two Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to by the President since a report was last made to the 8th December, 1967 :—

1. The Taxation Laws (Amendment) Bill, 1967.
2. The Court-fees (Delhi Amendment) Bill, 1967.

ESTIMATES COMMITTEE

TWENTY-THIRD REPORT

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to present the Twenty-third Report of the Estimates Committee on action taken by Government on the recommendations contained in the Twenty-ninth Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the erstwhile Ministry of Transport and Communications (Department of Communications and Civil Aviation)—Civil Aviation Department.